अम्बेडकर का समाज दर्शन : एक समाजशास्त्रीय दृष्टि

डॉ0 वन्दना राव*

परम्परागत भारतीय संरचनात्मक प्रकार्यात्मक व्यवस्था के प्रतिशोधक डॉ. अम्बेडकर सामाजिक दर्शन की श्रेणी में लूथर के साथ–साथ कार्ल मार्क्स एवं गांधीयन दर्शन के उच्चतया के करीब माने जाते हैं जो कि भारतीय स्वाधीनता के पक्षकार होने के साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और वे कहते थे कि धर्म का पुनर्गठन किया जाय जिसका आधार मात्र स्वतंत्रता, समानता और सामुदायिक की भावना हो न कि जाति, वर्ग, कुल तथा वंश हो, क्योंकि इस पिरामिड रूपी भारतीय सामाजिक व्यवस्था ने देश के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। ये किसी भी प्रगतिशील समाज का दर्शन नहीं हो सकता है कि मानव–मानव में जन्म के आधार पर भेद किया जाय अगर भारत का राष्ट्रीयकरण करना है तो अस्पृश्यता एवं अछूतों को समान अधिकार दिलाने ही होंगे। अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन समाजशास्त्रीय विचारधारा के परिलक्षित होता है।[1]

डॉ0 अम्बेडकर मात्र सिद्धान्तवादी ही नहीं थे बल्कि एक कर्मनिष्ठ और जुझारु व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि ''हमारे आन्दोलन का लक्ष्य सिर्फ अपनी निर्योग्यताओं या अस्पृश्यता को दूर करना ही नहीं बल्कि समस्या के विरुद्ध क्रान्ति करना भी है, ऐसा क्रान्ति जो जाति की समस्त मानव निर्मित बाधाओं को दूर कर सभी तो समान अवसर प्रदान करेगी, ताकि मानव–मानव के बीच नागरिक अधिकारों को लेकर कोई भेद न रहे। यदि हम समस्त हिन्दुओं को एक ही जाति में संगठित करने के अपने आन्दोलन में सफल हो जाते हैं, तो सामान्यतः यह भारतीय राष्ट्र की ओर विशेष रुप से हिन्दू समुदाय की हमारी महान सेवा होगी।''

मानव सम्बन्धों की संरचना को समाज कहा जाता है आदर्श समाज निर्माण के विचारों में अनेक विद्वानों का अलग–अलग मत है, पर उनमें एक सर्वव्याप्त दृष्टिकोण है, जो समाज को एक नैतिक जीवनशैली की तरफ उन्मुक्त करता है। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार अधिकारों की सुरक्षा कानून से नहीं अपितु समाज के सामाजिक एवं नैतिक भावना द्वारा हुआ करती है। उनका यह अटूट विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही उपेक्षित एवं शोषित वर्ग प्रगति एवं उन्नति में सहभागी हो सकता है। उनके सामाजिक चिन्तन में प्रजातंत्र और अनेकवाद ही एक न्यायोचित जीवन पद्धति है, जिसमें सम्मान तथा चुनाव की स्वतंत्रता हो सकती है अनेक बाद का अर्थ है–साथ–साथ रहना और सामान्य सम्बन्धों को स्थापित करना। यही अर्थ प्रजातंत्र का भी है। यही कारण है कि डॉ. अम्बेडकर ने अनेकवाद और प्रजातंत्र को अपने दर्शन तथा सामाजिक चिन्तन का मुख्य मुद्दा बनाया।[2]

राज्य एवं समाज

अम्बेडकर ने राज्य की कल्पना मनुष्यों के एक संगठन के रूप में की जिसके पास अपनी विधायिका एवं कार्यपालिका होती है तथा अपना प्रशासनिक तंत्र होता है। अम्बेडकर का कहना था कि मनुष्यों का संगठन होने के नाते राज्य को व्यक्ति एवं समाज के हितों का संरक्षण करना होता है। अम्बेडकर ने राज्य के चार प्रधान लक्ष्य निर्धारित किये है– (1) प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता की प्राप्ति और भाषण व धर्म पालन की स्वाधीनता के अधिकार को बनाये रखना। (2) निम्न व कमजोर वर्गों को बेहतर सुविधाएं एवं अवसर प्रदान करते हुए उनकी सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विषमता को दूर करना। (3) प्रत्येक नागरिक को अभाव एवं भव से मुक्ति दिलाना तथा (4) आन्तरिक अव्यवस्था एवं अशान्ति को दूर करना तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। अम्बेडकर ने राज्य की तुलना में समाज को अधिक महत्व किया। उनका मानना था कि राज्य कभी भी समाज नहीं बन सकता क्योंकि समाज मनुष्य के समाज नहीं बन सकता क्योंकि मनुष्य के समस्त विचारों एवं क्रियाओं को समाहित करता है।[3]

* राजेश्वरी देवी रामशुभग सिंह महाविद्यालय, देवरिया, उ.प्र.

राज्य एवं व्यक्ति

अम्बेडकर राज्य एवं व्यक्ति के बीच सामंजस्य के पक्षधर थे। वे राज्य की सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि सर्वाधिक सम्पन्न होने से राज्य व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करेगा, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा और स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध होगा, अन्ततोगत्वा सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी।

अम्बेडकर के अनुसार राज्य साध्य नहीं है और न ही सम्पूर्ण समाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में राज्य मानव लक्ष्यों की प्राप्ति और बेहतर समाज की स्थापना का एक साधन है। राज्य को व्यक्ति और समाज के हितों का सेवन मालिक के रूप में नहीं बल्कि एक नौकर की भांति करना चाहिए। अम्बेडकर का मानना था कि राज्य व्यक्ति का निर्माता है और न ही व्यक्ति राज्य का दास इसलिए राज्य को सर्वाधिक प्रदान करना न्यायोचित नहीं है, व्यक्ति राज्य का निर्माता है। व्यक्ति ने राज्य का निर्माण कतिपय उद्देश्यों तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा तथा आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था की प्राप्ति के लिए किया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से राज्य को व्यक्ति पर कतिपय अधिकार प्रदान करना आवश्यक एवं उचित है किन्तु ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के पूरक के रूप में होना न कि उनके विरुद्ध। चूँकि व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया है, इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि वह व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता और नैसर्गिक की रक्षा करे तथा उसके सम्मान व गरिमा को बनाये रखे।

अम्बेडकर कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। वे ऐसा राज्य चाहते थे जो सामान्य कार्यों के संचालन तथा शक्ति एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित तो करें किन्तु व्यक्ति को मूलभूत स्वतंत्रता एवं नैसर्गिक अधिकार भी प्रदान करें।[4]

लोकतंत्र

अम्बेडकर के विचार में लोकतंत्र प्राचीन काल से आधुनिक समय तक विकासशील रहा है। वह कहते हैं ''लोकतंत्र सिर्फ शासन को ही नहीं, मुख्य रुप से यह जीवन के साथ जुड़ने का एक तरीका है और अनुभव को संयुक्त रुप से प्रेषित करना है। यह वास्तव में अपने साथियों के प्रति सम्मान का भाव दिखाने और आदर प्रकट करने जैसा है।'' वह इसे भाईचारे के बराबर मानते हैं और कहते हैं कि 'भाईचारा लोकतंत्र का एक और नाम है।' उन्होंने इसे अपने तीन प्रिय सिद्धान्त–स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा कहा है।

'सामाजिक लोकतंत्र' शब्द आमतौर पर आर्थिक स्थिति का संकेत देता है और पूँजीवाद के समाजवाद में क्रमशः तिरोहित होने के फेबियन विश्वास के अनुकूल पड़ता है लेकिन अम्बेडकर के लिए इसका मतलब है समाज में न तो कोई ऊँच–नींच है, न कोई वंचना है और न कोई अलग–थलग। वास्तव में यह संकेत है भारतीय समाज और उसमें प्रचलित जाति प्रथा की ओर। इसका अर्थ है सहयोग और समुदाय (भाई चारे के विचार को महत्व देना) समानता (जो कि अवसर का परिणाम है) तथा स्वतंत्रता जो आर्थिक लोकतंत्र के लिए दूसरा शब्द है और संसाधनों के वितरण के लिए सब व्यक्तियों को समान मानता है। लोकतंत्र तीन भागों में बंटा है, औपचारिक लोकतंत्र जो राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र जो सामाजिक समानता के संदर्भ में है और आर्थिक लोकतंत्र जो ऐसी अर्थव्यवस्था का समाजवादी रुप है जो ''स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धान्त में समाहित होता है और उनके आदर्श समाज का प्रतिबिम्ब है।''[5]

डॉ0 अम्बेडकर का कथन था कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जनता को दोषपूर्ण साधनों जैसे– धर्म का प्रयोग, उदण्डता तथा अनुचित प्रचार का सहारा नहीं लेना चाहिए। डॉ0 अम्बेडकर यदि न होते, तब अछूत वर्ग की स्थिति दयनीय होती। डॉ0 अम्बेडकर का विचार व्यापक, गहन प्रभावशाली एवं क्रान्तिकरी थे। उनके राजनीतिक विचारों में राजनीतिक दर्शन था। उनके दर्शन का संदेश था कि दीपक की तरह स्वयं प्रकाशमान बनो, दूसरों का सहारा मत लो, केवल सत्य का सहारा लो।

डॉ0 अम्बेडकर नागरिक क्रान्ति के जनक थे तथा उनको दलित वर्ग के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी, उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन बौद्धिक तथा सामाजिक जीवन को उत्थान में लगाया वे बहुमत द्वारा दिये गये फैसलों का सदैव आदर करते थे।[6]

उन्नीसवीं शताब्दी में सन् 1837 में महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले ने सामाजिक समानता का आन्दोलन चलाया और सत्यशोधक, समाज की स्थापना की। महात्मा फूले हिन्दू धर्म की इस जाति प्रथा के विरुद्ध, जो समस्त हिन्दू समाज के सदस्यों को सामान्य मानवीय अधिकारों से वंचित रखता था, सत्य शोधक समाज तीन विषयों की शिक्षा दी।

1. परमात्मा और मानव के मध्य में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है?
2. मनुष्य की महानता उसके जन्म की जाति पर निर्भर नहीं रखनी चाहिए, अपितु उनके कार्यों के आधार पर ही होनी चाहिए।
3. परमात्मा एक है और सभी प्राणी उनकी संतान है।

डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था ''मानव समाज में दुःख है जिन्हें दूहा करने के लिए आर्थिक प्रयासों की आवश्यकता है। जनता के हृदय में अज्ञान तथ निर्धनता के प्रति एक गहन और उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। निर्धनता सभी सामाजिक बुराईयों की जड़ है। राजनीतिक शक्ति ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए, जिससे अधिकाधिक उत्पादन हो और पूंजीपतियों द्वारा समस्त धन न हड़पा जाये। उत्पादित धन का वितरण समान हो, डॉ0 अम्बेडकर समाजवाद को निर्धनों तथा अस्पृश्यों को शोषण से बचाने वाला हथियार मानते थे।

डॉ0 अम्बेडकर अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के मन्दिर में प्रवेश, कुंओ से पानी भरने, उनके बच्चों के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने, सरकारी नौकरी तथा सेना में भर्ती होने के अधिकार के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि जाति का आधार जन्म न होकर शिक्षा व गुणों पर आधारित होनी चाहिए।''[7]

भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक इतिहास में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ऐसे प्रमुख सामाजिक विचारक रहे जिन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की धारा को एक नया मोड़ दे कर अपना नाम अमर कर दिया। डॉ0 अम्बेडकर का चिन्तन बहुमुखी रहा उन्हें एक प्रतिभाशाली लेखन संविधान विशेषज्ञ तथा समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, भारत के दलित वर्गों के समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही कि उन्हें 'दलितों का मसीहा' कहा जाने लगा। मध्य प्रदेश में इन्दौर की छावनी में 14 अप्रैल 1891 को अछूत कही जाने वाली 'महार' जाति में हुआ। बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में जब सम्पूर्ण भारतीय समाज अज्ञानता के घोर अन्धकार में था। तब डॉ0 अम्बेडकर ने एक अस्पृश्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति यहाँ के सम्पूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन को बदलकर सामाजिक व्यवस्था को एक नया रुप दिया।

डॉ0 अम्बेडकर यह चाहते थे कि भारतीय समाज में सभी वर्गों के साथ सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में समानता का व्यवहार किया जाय तथा जीवन में ऊपर उठने के लिए उन्हे समान अवसर दिये जाये। अम्बेडकर ने मनुस्मृति को पढ़कर यह समझ लिया कि हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था जिन धार्मिक नियमों पर आधारित है, उनके अन्तर्गत अस्पृश्य जातियों का विकास का कोई अवसर नहीं प्राप्त हो सके। स्वयं निम्न जातियों की स्थिति इतनी कमजोर है कि वे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में उच्च जातियों का मुकाबलता नहीं कर सकते। सामाजिक समानता तथा सामाजिक दर्शन से सम्बन्धित डॉ0 अम्बेडकर के सभी विचार किसी न किसी रुप में दलितोद्वार से जुड़े हैं। डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक असमानताओं के जड़ तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया।[8]

डॉ0 अम्बेडकर स्त्रियों की प्रस्थिति में काफी सुधार किया। सामाजिक न्यास तथा समानता के लिए अम्बेडकर काफी प्रयास किये। 20 मार्च, 1927 को महज में आयोजित एक सभा में स्त्रियों को सम्बोधित करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने संदेश दिया कि ''तुम लोग कभी यह मत समझो कि तुम अछूत हो, स्वच्छ रहना सीखों ध्यान रखा कि जिस तरह की कपड़े उच्च जाति की स्त्रियाँ पहनती हैं तुम भी उस तरह के वस्त्र पहनों, केवल यह देखों कि तुम्हारे वस्त्र साफ हैं।'' उन्होंने यह कहा कि शिक्षा पुरुषों को जितनी जरुरी है उतनी ही महिलाओं को भी। आपका मानना था कि दलित जातियों की स्त्रियों को

शिक्षा दिया जाय जिससे उनमें हीन की भावना दूर हो सके अम्बेडकर हमेशा स्त्री–पुरुषों के समानता के अधिकार के पक्ष में रहे हैं।

इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर समाज के सभी वर्गों के लोग को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का समर्थन, सामाजिक समानता के लिए कानूनी सुधार लाये तथा अपने सम्पूर्ण जीवन को समाज के निर्बल लोगों के उत्थान में लगा दिये।

संदर्भ :

1. विमर्श सामाजिक : अर्द्धवार्षिकी, अंक प्रथम, 2007.
2. डॉ0 अम्बेडकर : बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर का सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड–1.
3. भारतीय, के.एस., 1990, फाउण्डेशन ऑफ अम्बेडकर थाट, नई दिल्ली, दत्त संस प्रकाशन।
4. कुबेर, डब्ल्यू, एसत्र 1979 : डॉ0 अम्बेडकर : दि क्रिटीकल स्टडी, नई दिल्ली, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस.
5. द सोसाइटी, वाल्यूम, 13, जुलाई 2011, पृ. 240, 41.
6. योजना, दिसम्बर 2013, पृ. 35, 36.
7. मंथन परीक्षा, प्रथम संस्करण, 2013–14.
8. जर्नल : इण्डियन कांउसिल आफ फिलोसफी रिसर्च, नई दिल्ली, 2014, पृ. 126.